न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–637 सन् 2010

पतासो कुंवर वगै0.....वादी।

बनाम

कालावती देवी वगै0.....प्रतिवादी।

दिनांक–27.05.2024

वादी की ओर से हाजिरी है।आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 03 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 18.09.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 01 पतासो कुंवर थीं, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.11.2022 अपने कानूनी वारिसाने छोड़कर हो गई है तथा उनके कानूनी वारिसान पूर्व से ही उक्त वाद में वादी सं0 01'क' एवं 02 प्रतिस्थापित हैं। न्यायहित में वादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 01 पतासो कुंवर का नाम वादपत्र से कलमजद करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 पतासो कुंवर थीं, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.11.2022 अपने कानूनी वारिसान को छोड़कर हो गई है तथा उनके कानूनी वारिसान पूर्व से ही उक्त वाद में वादी सं0 01'क' एवं 02 प्रतिस्थापित हैं। वादी की ओर से वादी सं0 01 का नाम कलमजद आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.09.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें।

सब जज

सोनपुर, सारण।

दिनांक–27.05.2024

वादी की ओर से हाजिरी है।आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 '4' के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 30.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 03 राम प्रवेश महतो थे, जिनकी मृत्यु जनवरी या फरवरी वर्ष 2023 में अपने एकमात्र पुत्र राज किशोर महतो को छोड़कर मर गए तथा राज किशोर महतो भी उनकी मृत्यु के करीब छः माह बाद अपने जायज वारिसान तीन पुत्र श्रवण महतो, छोटु महतो वो धीरज महतो तथा विधवा पत्नी रीता देवी को अपने कानूनी वारिसाने छोड़कर हो गई है। न्यायहीत में मृत प्रतिवादी सं0 03 के मृत पुत्र के कूननी वारिसानों को उक्त वाद में प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 03 का नाम वादपत्र से कलमजद करते हुए उनके एकमात्र मृत पुत्र के वारिसानों का नाम वादपत्र में प्रतिथापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 के रूप में राम प्रवेश महतो थे जिनकी मृत्यु वर्ष 2023 में हो गई तथा उनके एकमात्र कानूनी वारिसान उनके पुत्र राजकिशोर महतो थे, जिनकी भी मृत्यु प्रतिवादी सं0 03 के मृत्यु के करीब छः माह बाद हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 03 के मृत्यु के बाद उनके मृत पुत्र के कानूनी वारिसानों जो आवेदन में लिखित है को उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 03 के स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहत है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.10.2023 को विलंब माफ करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।